



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008
कॉरपोरेट कार्यालय : एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
<https://punjabandsindbank.bank.in/>

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यकलाप (यों) को परिचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ या अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन **मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को प्रातः 11:00 बजे** किया जाएगा (बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा) :

सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप :

मद संख्या 1 : यथा 31 मार्च 2026 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ- हानि खाते, लेखांकन द्वारा रक्षित अवधि के लिए बैंक के कार्यचालन और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र और लेखांकन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदन प्रदान करना और उसे अंगीकृत करना।

मद संख्या 2 : वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश का अनुमोदन और घोषणा करना।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.07.2026

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव
सदस्य संख्या-ए63265



टिप्पणियां

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को किसी सामान्य स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 16वीं एजीएम के लिए मानित स्थान नई दिल्ली में बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2008 के विनियमन 58 के अंतर्गत गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा इसलिए सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ अपेक्षित मानचित्र संलग्न नहीं है।

2. परोक्षी की नियुक्ति : बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होंगे तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसरण में शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/ या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रति, बैठक की तिथि से 04 दिन पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को सांय 05:00 बजे** तक या इससे पूर्व कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में जमा नहीं की जाती है अथवा संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल नहीं की जाती है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.bank.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

4. एजीएम आयोजित करने की सूचना बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.bank.in/> पर अपलोड कर दी गई है। शेयर बाजारों यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com व www.nseindia.com पर भी सूचना का अवलोकन किया जा सकता है। एजीएम की सूचना, सीडीएसएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा और एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

5. लाभांश का भुगतान :

लाभांश भुगतान करने के लिए अभिलिखित तिथि **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** होगी।

16वीं वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹0.39 के लाभांश की अनुशंसा की है। वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नलिखित में समाविष्ट है :

- इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/ सीडीएसएल के अभिलेख के अनुसार **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को कार्य-समय की समाप्ति पर हिताधिकारी स्वामी के रूप में, या

- b) **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को कार्य-समय की समाप्ति से पूर्व भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध पारेषण/ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को शेयरधारकों के रजिस्टर में।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित किया है। बैंक द्वारा लाभांश भुगतान की तिथि से पूर्व अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात एमयूएफजी इनटाइम इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से लाभांश वारंट/ मांग ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित नहीं किया है।

पत्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान 16वीं वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

अतैव शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पूर्ण बैंक विवरण पंजीकृत/ अद्यतित करें :

- i) यदि शेयर अमूर्त रूप में हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी (यों) जहाँ उनका डीमेट खाता अनुरक्षित है, के पास निक्षेपागार सहभागी (यों) द्वारा अपेक्षित हो सकने वाले फॉर्म व दस्तावेज़ जमा करके, तथा
- ii) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो बैंक/ बैंक आरटीए के पास निम्न दस्तावेज़ जमा करके :
 - a. शेयरधारक का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम तथा पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) समाविष्ट हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति।
 - b. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा
 - c. निरस्त चेक लीफ।

6. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (शेयर प्रमाण-पत्र):

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांकित 07 मई, 2024 के अनुसार भौतिक रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन सहित डाक पता और मोबाइल नंबर), बैंक खाता विवरण और उनके तद्विषयक फ़ोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2024 से इस प्रकार के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात बैंक खाते में प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। लाभांश भुगतान के लिए लाभांश वारंट नहीं भेजा जाएगा।

भौतिक रूप (शेयर प्रमाण-पत्र) में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने सेबी द्वारा निर्धारित दस्तावेज अर्थात उचित बैंक विवरण, पैन, केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, को लाभांश भुगतान तिथि पर लाभांश का भुगतान किया गया माना जाएगा, हालांकि शेयरधारक (ओं) द्वारा उचित बैंक विवरण सहित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध कराए जाने तक लाभांश राशि, बैंक के लाभांश खाते में रखी जाएगी। बैंक/ बैंक आरटीए में उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण प्राप्त होने पर लाभांश, संबंधित शेयरधारक (ओं) के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाण-पत्र) रखने वाले शेयरधारक (ओं) से अनुरोध है कि वे बैंक/ बैंक आरटीए को अविलंब उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करें जिससे लाभांश भुगतान तिथि पर ही उन्हें अपने बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश प्राप्त हो सके।

7. लाभांश भुगतान पर कर

- (i) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसरण में, 1 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों को भुगतान या वितरित किया गया लाभांश कर योग्य है तथा बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दर हेतु आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों और तत्संबंधी संशोधन का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर होने की स्थिति में) तथा निक्षेपागारों (यदि शेयर डीमेट रूप में है) के पास अपना पैन अद्यतित कराएं।

- (ii) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास वैध पैन है और जो आयकर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर की कटौती न होने संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 121(पूर्व में 15-जी/ 15-एच) में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में 20% की उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक, भारत और उनके आवासीय राष्ट्र के मध्य हुए कर समझौते के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज जैसे कोई स्थाई अधिष्ठान और हिताधिकारी स्वामित्व घोषणा-पत्र, कर निवासी प्रमाण-पत्र, फॉर्म 41(पूर्व में 10-एफ), कर समझौता लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज/ घोषणा-पत्र को <https://web.in.mpms.mufig.com/formsreg/submission-of-form-121-41.html> पर अपलोड करके हितकारी दर प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज/ फॉर्म, बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.bank.in/> पर उपलब्ध है।
- (iii) शेयरधारकों से अनुरोध है कि **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को सांय 5:00 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट अर्थात <https://web.in.mpms.mufig.com/formsreg/submission-of-form-121-41.html> पर उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करें ताकि बैंक, उचित टीडीएस/ रोके गए कर दर पर कर निर्धारण और कर कटौती कर सके।

8. शेयरधारकों का मताधिकार:

अधिनियम के खंड 3 (2 ई) के प्रावधानों के संबंध में, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर, संयुक्त धारक के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ई-एजीएम में उपस्थित होने हेतु पात्र है तथा कार्यसूची की मदों पर दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में ई-एजीएम के दौरान मताधिकार का पात्र है।

9. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

- I. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 44, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधान के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में परिचालित किए जाने वाले व्यावसायिक मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए शेयरधारक की पात्रता निर्धारित करने की निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** है।
- II. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
- III. **दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम के दौरान ई-मतदान तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:**

चरण 1 : अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के प्रकरण में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- i **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न 10.00** बजे से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा **सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को अपराह्न 05.00** बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयरधारित है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
- ii शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक के दौरान मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- iii भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अंतर्गत **सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को समस्त शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण तथा अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए **समस्त डीमेट खाताधारकों को उनके डीमेट खाते/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल** द्वारा ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमेट रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- iv **सूचीबद्ध** कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मतदान सुविधा पर **सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/ 2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020** के संबंध में, डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों तथा निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा के अभिगम के लिए अपने डीमेट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कराएं।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, **डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए** ई-मतदान और आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन प्रक्रिया नीचे दी गई है :

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के पास डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि Easi/ Easiest में लॉगिन करने के लिए सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com का अवलोकन करें तथा और लॉगिन आइकन व New System Myeasi पर क्लिक करें। 2) सफल लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए

करने वाले शेयरधारक	ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं को सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध हैं ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के आवरण पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमेट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमेट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां ई-मतदान प्रगति पर है और समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली में सीधे अभिगम करने में भी सक्षम होगा।
एनएसडीएल के पास डीमेट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का मुख्य पृष्ठ आरंभ होने के बाद, "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता, IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-मतदान सिस्टम का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमेट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूति धारक)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID and Forget Password' विकल्प का प्रयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री संख्या 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा डीमेट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

V. **भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-मतदान और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए के लिए लॉगिन विधि।**

1. शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
2. "Shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3. अब निम्नानुसार अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें :
 - i. सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - ii. एनएसडीएल हेतु : 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
 - iii. भौतिक रूप में शेयरधारक, कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
4. दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
6. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन, बैंक/ डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में अभिलिखित लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

- VI. इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- VII. सदस्य जिनके पास मूर्त रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "Password Creation" मेनु में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, किया जा सकता है बशर्ते कंपनी, सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का चयन करती है। प्रबलतापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- VIII. शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, इस नोटिस में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए ब्यौरे का उपयोग किया जा सकता है।
- IX. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- X. मतदान पृष्ठ पर आप "RESOLUTIONS DESCRIPTION" के समक्ष YES/ NO का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार "YES" अथवा "NO" विकल्प का चयन करें। "YES" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा "NO" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- XI. यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- XII. जिस प्रस्ताव पर आपने वोट देने का फैसला किया है, उसे चुनने के बाद, " SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, " CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।
- XIII. संकल्प पर एक बार मतदान की "CONFIRM" के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- XIV. मतदान पृष्ठ के "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
- XV. यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा "Forgot Password" पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- XVI. यहाँ पर BR/POA अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है (यदि कोई अपलोड है) जिसे सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।
- XVII. **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा – केवल दूरस्थ मतदान के लिए**
 - गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और "Corporates" मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
 - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर सृजित करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - लॉगिन में संबद्ध खातों की सूची स्वतः मैप होगी तथा गलत मैपिंग के लिए डी-लिंक भी की जा सकती है।
 - यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि कोई है), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
 - वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि ,संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात scrutinizer@snaco.net तथा complianceofficer@psb.bank.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया गया है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा निक्षेपागारों के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए – कृपया complianceofficer@psb.bank.in/ delhi@in.mpms.mufg.com को ई-मेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
2. डीमेट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
3. वैयक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान के लिए प्रक्रिया, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
3. दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. तत्पश्चात, शेयरधारकों को कैमरा उपयोग की अनुमति देने तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियो घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, **21 जुलाई, 2026 तक** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.bank.in पर पंजीकृत करें। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी विषय में जानकारी चाहिए तो **21 जुलाई, 2026 तक** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न complianceofficer@psb.bank.in पर भेजें। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से समुचित रूप से दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1-800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।



इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें।

10. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

11. अदत्त/अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से उपरोक्त पते पर या एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 पर बैंक के शेयर कक्ष में संपर्क करें।

12. अन्य सूचना

- सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ई-मतदान की प्रक्रिया तथा शिष्टता दर्शाने के साथ-साथ बैंक की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की सूचना समाविष्ट, 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल आईडी, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात "एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं।
- बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडी: delhi@in.mpms.mufg.com) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दूरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण यथा बैंक का नाम व शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।
- समरूप नाम या संयुक्त नाम के समान क्रम में अनेक फोलियो में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि एकल फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाण-पत्र, आरटीए को प्रेषित करें।

13. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संचार के किसी भी प्रकरण अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर/लाभांश से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे पर स्पष्टीकरण/सहायता के लिए आप हमसे/आरटीए से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार/संचार में अपना फोलियो नंबर/ दूरभाष नंबर/ मोबाइल नंबर/ ई-मेल पता उद्धृत करें) :

एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 दूरभाष: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591 ईमेल: delhi@in.mpms.mufg.com	कंपनी सचिव पंजाब एण्ड सिंध बैंक कॉरपोरेट कार्यालय - एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स प्रथम तल, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली-110023 दूरभाष : 011-40175169 ई-मेल : complianceofficer@psb.bank.in
---	---

सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/सीआईआर/2023/72 दिनांकित 08 जून, 2023 के माध्यम से आरटीए को सेवा अनुरोधों/शिकायतों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन व्यवस्था या पोर्टल स्थापित करने की सलाह दी थी।

सेबी के परामर्श अनुसार, बैंक आरटीए (मेसर्स एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने नवीनतम निवेशक स्व-सेवा पोर्टल 'SWAYAM' आरंभ किया है।

'SWAYAM' एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब आधारित एप्लिकेशन है जो शेयरधारकों को विभिन्न सेवाओं तक सुगम पहुंच के लिए सक्षम करता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एप्लिकेशन पर अपना पंजीकरण करें और पोर्टल का प्रत्यक्ष अनुभव लें।

इस एप्लिकेशन को <https://swayam.in.mpms.mufg.com/> पर एक्सेस किया जा सकता है।

- सेवा अनुरोध का प्रभावी समाधान - SWAYAM के माध्यम से सेवा अनुरोध/शिकायत करें और उसकी स्थिति प्राप्त करें।
- विशेषताएं – उपयोगकर्ता-अनुकूल जीयूआई।
- लाभांश/ ब्याज/ संदाय/ स्पलिट जैसी कॉरपोरेट कार्रवाई निगरानी करें।
- पैन आधारित निवेश - पैन से संबद्ध खातों, कंपनीवार धारिता और प्रतिभूति मूल्यांकन तक पहुंच प्रदान करता है।
- अदत्त राशि के लिए सहजतापूर्वक अनुरोध करें।
- स्वयं सेवा पोर्टल – अमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों और भौतिक प्रतिभूतियों के लिए, जिनके फोलियो केवाईसी अनुरूप हैं।
- विवरणी - संपूर्ण धारिता और कॉरपोरेट लाभ की स्थिति का अवलोकन करें।
- लॉगिन पर द्विकारक प्रमाणीकरण (2FA) - निवेशकों के लिए सुरक्षा उन्नत करता है।

14. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण तथा नामांकन इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए मानदंड :

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16.03.2023 के अनुसार, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक आरटीए को उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में मूर्त रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण तथा नामांकन विवरण इत्यादि नीचे दिए गए प्रपत्रों में अविलंब बैंक/आरटीए को प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	फॉर्म/प्रपत्र	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए।
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए।
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन के ऑप्टिंग-आउट के लिए घोषणा-पत्र।
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फॉर्म।
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन का निरसन या परिवर्तन (यदि कोई हो)।

उपरोक्त समस्त फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) हमारी वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मद्देनज़र हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि मेसर्स एमयूएफजी इंडाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 पर बैंक आरटीए को समर्थित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17.11.2023 के माध्यम निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है :

- जिन फोलियो में अनिवार्य विवरण यथा पैन्, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उनको अवरुद्ध/कीलन करना।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ देना।

15. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण – विशेष अनुरोध :

- a) सेबी ने अपने प्रेस-विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांकित 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापन के प्रकरण को छोड़कर, प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से निक्षेपागार के पास गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में न रखा जाए। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक धारिता को अविलंब डीमैट कराएं।
- b) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का अंतरण दिनांक 01.04.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण उसी स्थिति में किया जा सकता है जब शेयर गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में रखे गए हों।
- c) इसके अतिरिक्त, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांकित 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध कंपनियां भविष्य में अनुलिपि शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने, प्रेषण, प्रतिस्थापन इत्यादि के अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियाँ जारी करेंगी। उपरोक्त के मद्देनज़र बैंक के समस्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना शेयर अमूर्तीकृत कराएं। शेयरों को गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में धारित करने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :

- i भौतिक शेयर प्रमाण-पत्र के क्षतिग्रस्त होने अथवा गुम होने की संभावना क्षीण हो जाती है;
- ii शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या जालसाजी या विकृत होने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii अमूर्तीकरण से शेयरों के कागज रहित व्यापार की सुगमता और सुविधा मिलती है। एक बार निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास डीमैट खाता खुल जाने पर शेयरधारक सहजतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर क्रय अथवा विक्रय कर सकता है।

16. भौतिक रूप में धारित शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए प्रक्रिया

विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(A) शेयरधारक जिनके पास डीमैट खाता नहीं है :

शेयरधारकों को अपने निकटतम निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करना होगा तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक में धारित शेयर के अनुरूप नाम व शैली में डीमैट खाता खुलवाना होगा।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ), डीपी को सौंपना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर शेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।



(B) शेयरधारक जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है :

जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचना आवश्यक है कि क्या उनका विद्यमान डीमैट खाता, पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार उसी नाम और शैली में है। यदि हाँ, तो शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, निक्षेपागार सहभागी के पास जमा करना होगा जो इसे बैंक आरटीए को अग्रेषित करेगा। आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर शेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि विद्यमान डीमैट खाता, नाम के समान क्रम में नहीं है तो शेयरधारक को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा। यदि विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई बदलाव है तो हमारे आरटीए अर्थात एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या उपरोक्त उल्लिखित पते पर बैंक से संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 06.07.2026

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव
सदस्य संख्या-ए63265



Punjab & Sind Bank

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110 008

Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110 023

<https://punjabandsind.bank.in/>

NOTICE

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be on **Tuesday, the 28th July, 2026 at 11.00 a.m.** held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM)(the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following business(es):

Ordinary Business:

Item No 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2026, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2026, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No 2: To approve and declare dividend for the Financial Year 2025-26.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 06.07.2026

Saket Mehrotra

Company Secretary

Membership No: A63265



NOTES

1. **ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

Pursuant to Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs, the 16th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 16th AGM shall be the Head Office of the Bank at New Delhi. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. **APPOINTMENT OF PROXIES:** A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):**

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.bank.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **Thursday, 23rd July 2026**.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at <https://punjabandsind.bank.in/>. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

5. **PAYMENT OF DIVIDEND:**

The Record date for payment of Dividend will be **Tuesday, July 21, 2026**.

The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.0.39 per equity share of Rs.10 each for the Financial Year ended 31st March 2026, subject to the approval of shareholders at the 16th Annual General Meeting. The payment of dividend, if declared by the shareholders at the Annual General Meeting will be made to those shareholders whose names appear:



- a. As beneficial owners as at the close of business hours on **Tuesday, July 21, 2026** as per the records of NSDL / CDSL in respect of the shares held in electronic form, or
- b. In the Register of Shareholders as on **Tuesday, July 21, 2026**, after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of **Tuesday, July 21, 2026**.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their Bank Account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e., MUFG Intime India (Pvt) Ltd before the date of payment of dividend to the registered address of the shareholders who have not updated their Bank Account details.

The Dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 16th Annual General Meeting.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete Bank details:

- i) With their Depository Participant (s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in dematerialized mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant (s), and
- ii) With the Bank / Bank's RTA, if the shares are held in physical mode, by submitting:
 - a. Copy of the signed request letter containing the Shareholders name, Folio number, Bank details (Bank Account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details)
 - b. Self-attested copy of the PAN card, and
 - c. Cancelled cheque leaf.

6. Payment of Dividend to Shareholders holding Share in physical form (Share Certificate):

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, it is mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding Folio numbers. Further with effect from 01.04.2024, dividend to such shareholders will be paid only through electronic mode, i.e. direct credit into Bank Account. Dividend Warrant will not be sent towards payment of dividend.

The dividend to those shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) and have/ has not submitted the documents prescribed by SEBI, i.e. proper Bank details, PAN, KYC documents and Nomination details shall be deemed to have been paid on dividend payment date, however the dividend amount will remain lying in Bank's Dividend Account unless complete documents/ details including proper Bank details are provided by the shareholder(s). Once the proper Bank details, other KYC documents and Nomination details are received by the Bank/ Bank's RTA, dividend will be remitted directly to Bank Account of the respective Shareholder(s).



In view of the above, Shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to furnish proper Bank details, other KYC and Nomination details at the earliest to the Bank/ Bank's RTA so as to get his/her dividend remitted electronically in his/her Bank Account on dividend payment date itself.

7. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

- i. Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 2025 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- ii. A Resident shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 121 (Erstwhile Form 15G/15H), to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 41 (Erstwhile Form 10F), any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations by uploading them on <https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html>. The relevant documents / forms are available on the website of the Bank at <https://punjabandsind.bank.in/>.
- iii. The shareholders are requested to submit the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), **Tuesday, July 21, 2026** on the website of the RTA viz. <https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html> in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

8. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the items on the agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.



9. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is **Tuesday, July 21, 2026**.
- II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

III. The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- i. The remote e-voting period begins at **10:00 a.m. on Friday, 24th July, 2026** and ends at **05:00 p.m. on Monday, 27th July, 2026**. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of **Tuesday, July 21, 2026**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote during the meeting.
- iii. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020**, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

- iv. In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on Login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-Voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-Voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joinings virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.



Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
---	--

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

v. Login method for remote e-Voting and joining virtual meeting for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
2. Click on “Shareholders” module.
3. Now enter your User ID
 - i. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- vi. After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- vii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.



- viii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- ix. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- x. On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/ NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- xi. Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- xii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xiii. Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xiv. You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xv. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xvi. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- xvii. **Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians - For remote Voting only**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping.
 - It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - Alternatively Non Individual shareholders are required to mandatorily send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.bank.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders – Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.bank.in / delhi@in.mpms.mufg.com
2. For Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance by **21st July 2026** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.bank.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries **21st July 2026** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.bank.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1-800-22-5533.



All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33.

10. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

11. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023.

12. OTHER INFORMATION

- a) In compliance with the SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2025-26 containing the Notice of the 16th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "MUFG Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).
- b) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@in.mpms.muvg.com). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.
- c) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.

13. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Punjab & Sind Bank, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

MUFG Intime India Pvt Ltd. Unit: Punjab & Sind Bank Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591 Email: delhi@in.mpms.mufig.com	The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, Telephone: 011-40175169, E-mail: complianceofficer@psb.bank.in
--	---

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/72 dated June 08, 2023 had advised RTA's to set up a user-friendly online mechanism or portal for service requests/ complaints.

As advised by SEBI, Bank's RTA (M/s MUFG Intime India Private Limited) has launched '**SWAYAM**', a brand-new Investor Self-Service Portal.

'**SWAYAM**' is a secure, user-friendly web-based application that empowers shareholders to effortlessly access various services. We request you to get registered and have first-hand experience of the portal.

This application can be accessed at <https://swayam.in.mpms.mufig.com/>

- Effective Resolution of Service Request -Generate and Track Service Requests/Complaints through SWAYAM.
- Features - A user-friendly GUI.
- Track Corporate Actions like Dividend/Interest/Bonus/split.
- PAN-based investments - Provides access to PAN linked accounts, Company wise holdings and security valuations.
- Effortlessly raise request for Unpaid Amounts.
- Self-service portal – for securities held in demat mode and physical securities, whose folios are KYC compliant.
- Statements - View entire holdings and status of corporate benefits.
- Two-factor authentication (2FA) at Login - Enhances security for investors.

14. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:



Sl No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) are available on our website at https://punjabandsind.bank.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at MUFG Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of –

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

- SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to Demat their physical holding immediately.
- In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares. Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:
 - Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
 - Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
 - Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

**16. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :**

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Punjab & Sind Bank. After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Punjab & Sind Bank. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s MUFG Intime India Private Limited or Bank at address mentioned above.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 06.07.2026

Saket Mehrotra

Company Secretary

Membership No: A63265